

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 12 SEP 2014

— आदेश —

श्री एन. मोरिस बाबू, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी हुमन ट्राफिकिंग, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 13/2005 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.9.2018 है, के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 1 (1) साप्र/2/2014 दिनांक 24.6.2014 के द्वारा आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या 1/ए/1, प्रथम तल बहुमजिला गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 1/46, गांधीनगर जयपुर का "रिक्त होने की प्रत्याशा" में नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान, के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटि के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. श्री एन. मोरिस बाबू, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी हुमन ट्राफिकिंग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. श्री तपेश पंवार, सेवानिवृत्त, आई.ए.एस, निवासी 1/46 गांधीनगर, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- ✓ 16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 11.9.17

— जारी —

श्री ठण्डी लाल मीना, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानदेशक पुलिस, एन्टा हुमन ट्राफिकिंग, जयपुर  
जिनका प्रथम श्रेणी का वारयता सख्या 8/2011 है तथा जिनको सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2017 है, के  
आधार पर उनके निवास हेतु राजकाय आवास सख्या डा-606 स्वतंत्र, गांधीनगर, जयपुर का  
नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जायगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग का सूचित करना होगा तथा कायमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. सेवानिवृत्त उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पालन/बच्चा के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग का सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी का राजकाय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकाय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपना मूल स्थान में पुनः लाया जा सकता है। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय है तो राक दिया जायगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटन के द्वारा आवास का आवंटन के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटन अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम कराव।
8. आवंटन का आवंटित राजकाय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासाय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
  1. आवंटन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकाय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटन निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवंटन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकाय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटन के द्वारा कोई स्वयं/पालन व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल को आज्ञा से,

(राजीव जैन)

सयुक्त शासन सचिव

प्रातेलिपि निम्नांकित का सूचनाथ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. संयुक्त शासन साचिव, कामिक (क-1) विभाग, जयपुर।
6. श्री ठण्डी लाल मीना, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी हुमन ट्राफिकिंग, जयपुर।
7. श्री ठण्डी लाल मोणा, आइ.पो.एस., ई-15, गांधीनगर, जयपुर-कृपया आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण विवरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. सम्बन्धित अधिकारीगण।
14. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
18. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
19. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
20. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव